राजस्व वाद संख्याः– 03/2019
सत्यनारायण बनाम ग्राम पंचायत आदि
निर्णय दिनांकः– 22.09.2022.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 03/2019

सत्यनारायण पुत्र मालाराम उर्फ मालीराम जाति ब्राहमण निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत काकोडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 मालाराम
3. चन्द्रभान पुत्र स्व0 मालाराम
4. ठाकुरदत्य पुत्र स्व0 मालाराम
5. मूलचन्द पुत्र स्व0 मालाराम
6. मोहनलाल पुत्र स्व0 मालाराम
7. सुरजभान पुत्र स्व0 मालाराम
8. संतोष पुत्री स्व0 मालाराम
9. सुमन पुत्री स्व0 मालाराम
10. सुवटी पत्नी स्व0 मालाराम

    समस्त जाति ब्राहमण निवासी काकोडा, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

11. मनीष पुत्र माया पुत्री मालाराम जाति ब्राहमण निवासी बाकरा तहसील झुंझुनूं राज0।
12. नीशा पुत्री माया पुत्री मालाराम जाति ब्राहमण निवासी बाकरा तहसील झुंझुनूं राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं राज0।

– रेस्पोडेन्टस

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 03/2019
सत्यनारायण बनाम ग्राम पंचायत आदि
निर्णय दिनांक:– 22.09.2022.

अपील विरूद्ध बअदालत ग्राम पंचायत काकोडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 20.12.2014 में पारित निर्णय

:: निर्णय ::

दिनांक – 22.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

1. यह कि अदालत मातहत का पारित निर्णय दिनांक 20.12.2014 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने खारीज योग्य है।
2. यह कि अपीलान्ट के साथ प्राकृति न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की गई अपीलान्ट को निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का सुनिश्चित अवसर नहीं दिया गया जिसके कारण उक्त निर्णय खारीज होने योग्य है।
3. यह कि अदालत मातहत को मालीराम के समस्त वारीसान की भलीभांती जानकारी थी यह इससे स्पष्ट है कि ग्राम काकोडा में स्थित भूमि में मालीराम का जो विरासतन नामान्तकरण संख्या 1555 दिनांक 05.11.2014 को स्वीकृत किया उसमें मालीराम के समस्त वारीसान का नाम दर्ज है परन्तु ग्राम झाझड़ियों की ढाणी में स्थित भूमि में विरासतन नामान्तकरण दर्ज करते समय अदालत हाजा को मालीराम के समस्त वारीसान की जानकारी होते हुए भी अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं कर नामान्तकरण स्वीकार कर अदालत मातहत ने तथ्य एवं विधि की भूल की है। इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 03 का दिनांक 20.12.2014 खारीज किये जाने योग्य है।
4. यह कि अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2014 अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्व पारित किया है जो खारीज किये जाने योग्य है।
5. यह की अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 22.05.2019 को हल्का पटवारी से राजस्व रिकोर्ड की नकल निकलवाई तब हल्का पटवारी ने बताया कि ग्राम काकोडा में स्थित भूमि में तो आप का नाम दर्ज है परन्तु ग्राम झाझड़ियों की ढाणी में स्थित भूमि में आपका नाम दर्ज नहीं है उसके बाद अपीलान्ट ने उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड तहसील कार्यालय से निलवाने के लिए दिनांक 22.05.2019 को आवेदन पेश किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 30.05.2019 को प्राप्त हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2014 एवं गलत राजस्व रिकोर्ड की जानकारी नहीं थी अपीलान्ट को जानकारी होते ही यथाशीघ्र उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह अपील पेश की जा रही है फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करवाने के लिए दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना – पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

Scanned with Oken Scanner

6. यह कि अपील अपीलान्ट सुनने एवं निर्णय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
7. यह कि अपील अपीलान्ट 2 रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है।
8. यह कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कि गई। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 12 की और से श्री हवासिंह चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा अपील को स्वीकार करने में सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वकील पक्षकारान ने अपील को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण सख्या 357 ग्राम झाझड़ियों की ढाणी, सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 1255 ग्राम काकोडा, नकल जमाबंदी सं0 2063–66, 2066–69, 2070–73, 2074–77 ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान द्वारा अपील पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः खसरा नम्बर 16 रकबा 3.91 है0 वाके ग्राम झाझड़ियों की ढाणी के नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 20.12.2014 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ पुनः खसरा नम्बर 16 रकबा 3.91 है0 वाके ग्राम झाझड़ियों में मालाराम पुत्र बैजूराम के समस्त वारीसान की जॉच कर नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner